न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी– श्री अमानुल्लाह खान
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
32 / प्रा.पत्र / 2018	24.01.2018	28.10.2020

श्री अरूण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षैत्र कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा –प्रार्थी

–बनाम–

श्री पन्नालाल पुत्र श्री मोहनलाल, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स शिव दुध डेयरी, मेन रोड खटकड, जिला बून्दी। निवासी–मेनरोड झरबालापुरा, तहसील एवं जिला बून्दी। –अप्रार्थी

जुर्म अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii)
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से– श्री अरूण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षैत्र कोटा जोन के स्थान पर श्री गिरिराज शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी,बून्दी
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण सिंह हाडा उपस्थित है।

–: निर्णय :–

श्री अरूण सक्सेना, खा0सु0अधिकारी क्षैत्र कोटा जोन कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय निर्णयन हेतु प्रार्थना–पत्र में निम्नाकित बिन्दु अंकित किये है:–

1. मैं अरूण सक्सेना, दिनांक 05.08.2017 कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियॉ प्रयुक्त करने के लिये नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर के आदेश एच / एफएसएसए / (एफ–28) / नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे ब्राज सील नम्बर 84 व कार्य क्षेत्र कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवायें, जोन, कोटा आंवटित किया गया है और अधिसूचना क्रमांक एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2012 / 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार कोटा जोन के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियॉ इस्तगासे के साथ संलग्न है।
2. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.08.2017 को समय 05:40 पी.एम. पर नमूनीकरण एवं निरीक्षण हेतु मैसर्स शिव दुध डेयरी, मेन रोड खटकड, जिला बून्दी स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंचा। वहां पर श्री पन्नालाल आ0 मोहनलाल, विक्रेता एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

मालिक की हैसियत से उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया।

3. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि अन्य खाद्य पदार्थ *सहित प्रतिष्ठान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ कीम लगभग 4* किलोग्राम उपलब्ध था। उक्त खाद्य पदार्थ कीम में मिलावट का शक होने पर अभियुक्त को फार्म नं. 05ए पर नमूना जांच हेतु लेने की लिखित सूचना देते हुय 800 ग्राम वास्ते जांच खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को रू. 160/– नगद देकर रसीद प्राप्त की।
4. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर ही खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कीम पुनः स्टील के चम्मच से बारीक एवं एकरूप कर चार कांच की साफ, सुखी व स्वच्छ शीशीयों में बराबर भरा एवं प्रत्येक कांच की शीशी में बतौर परिरक्षक फार्मेलीन की 16–16 बूंदे डालकर, ढक्कन लगाकर एयरटाईट किया। नमूने के प्रत्येक भाग पर निर्धारित लेबल लगाये और लेबलों पर खाद्य पदार्थों का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एई–661 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कोटा द्वारा जारी एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. एई–661 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर चार–चार जगह नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। गवाहों एवं उन्होनें चारों नमूना भागों पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार की और पढकर सुनाई जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहों ने हस्ताक्षर किये एवं मैंने भी हस्ताक्षर किये।
5. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रघुनाथ मीणा द्वारा श्रीमान खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं.–6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. एवं अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं परिक्षेत्र, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।
6. आवेदक डी.ओ. एवं अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं परिक्षेत्र, कोटा के पत्र क्रमांक एफएसएसए/46(4)/2017/620 दिनांक 17.08.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 608/एफएसएसए/कोटा/2017/620 दिनांक 17.08.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया कीम, स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।
7. अतः उक्त दस्तावेज के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्रीमान उपनिदेशक एवं अभिहित अधिकारी कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकि0 एवं स्वा0 सेवाये जोन कोटा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया, इस पर श्रीमान उपनिदेशक एवं अभिहित अधिकारी कोटा ने पत्र क्रमांक 257 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा आवेदक खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में निम्न के विरूद्व न्यायनिर्णयन अधिकारी बून्दी के समक्ष न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति प्रदान की। अप्रार्थी श्री पन्नालाल ने एफएसएसए के नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है जो पशुपालकों से दूध लेकर क्रीम तैयार करता है। कभी–कभी डेयरियों से भी क्रीम प्राप्त कर विक्रय करता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। प्रार्थी छोटा व्यापारी होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय करने की कृपा करे।

बहस प्रार्थी व अप्रार्थीगण समाअत की गई।

बवकत बहस खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अरूण सक्सेना के स्थान पर श्री गिरिराज शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी,बून्दी न्यायालय में उपस्थित जिन्होनें बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी अपने स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ क्रीम का विनिर्माण, भण्डारण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन कर, एवं बिना खाद्य रजिस्टेशन/लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ विक्रय कर, धारा 51 एवं 58 का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माना आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है जो पशुपालकों से दूध लेकर क्रीम तैयार करता है। कभी–कभी डेयरियों से भी क्रीम प्राप्त कर विक्रय करता है। भविष्य में ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा जिससे जान माल की हानि हो। प्रार्थी छोटा व्यापारी होने से सहानुभूति का रूख अपनाते हुए निर्णय करने की कृपा करे।

हमने पत्रावली व उसके साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस प्रार्थी पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न सभी दस्तावेजात निर्धारित प्रपत्र में व समय अवधि में नियमानुसार है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना क्रीम खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) घोषित किया गया है। अप्रार्थी ने अपने प्रतिष्ठान पर स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ क्रीम का बिना खाद्य लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन के खाद्य पदार्थ का भण्डारण एवं विक्रय कर धारा 26 की उप धारा 2 (ii) व V का उल्लंघन कर आम जनता को विक्रय कर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड कर रहा है जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है। अप्रार्थी श्री पन्नालाल जो मैसर्स शिव दूध डेयरी, मेन रोड खटकड के मालिक/लाईसेन्स धारक है उक्त स्बस्टेण्डर्ड (Substandard) खाद्य पदार्थ क्रीम की विक्रय हेतु आपूर्ति की गई है। अप्रार्थी का कृत्य दोषसिद्व होने से खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 व 58 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अप्रार्थी को 50,000/– (अक्षरे–पचास हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)

निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमानुल्लाह खान, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
न्याय निर्णयन अधिकारी
बून्दी (राज०)